सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 05, सोमवार, *शाके* 1942–जनवरी 25, 2021 *Magha 05, Monday, Saka 1942-January 25, 2021*	

भाग-7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि.). अजमेर

अधिसूचना

अजमेर, नवम्बर 5, 2020

संख्या रा.रा.वि.प्र.नि./स.मु.अभि.(प्र.ए.नि.)/अजमेर/संस्था./फा./प्रे 1130 : भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनु-164 एवं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 (केन्द्रीय अधि. 13/1885) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.2.2004 जिसे राजस्थान के राजपत्र में दिनांक 08.03.2004 को एस.ओ. 408 पृष्ठ 393 (13) भाग 4(जीए) तदोपरान्त राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना सं. एफ.15 (4) ऊर्जा/2017 दिनांक 03.10.17 जिसे राजस्थान राजपत्र में दिनांक 09.10.2017 को प्रकाशित किया गया, जिसके अनुसार सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र. एवं. नि.) राराविप्रनिलि, अजमेर/जयपुर/जोधपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में बिजली के प्रसारण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्श्य से बिजली की लाइनों या बिजली संयत्रों को खडा करने के लिए मार्ग-अधिकार अर्थात राइट आफ वे की उपयुक्त मंजूरी जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरित सक्षम अधिकारी द्वारा बिजली की आपूर्ति हेतु **१३२ के वी ग्रिड सब स्टेशन सरवाड़ हेतु १३२ के वी द्वी परिपथीय नसीराबाद - केकड़ी लाइन के लिलो के निमार्ण के लिए मार्ग-अधिकार अथार्त राइट आफ वे** की उपयुक्त मंजूरी जारी की जाती है। उक्त द्वी परिपथ लाईन निम्नलिखित गांवो की सीमा/राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी।

S N	**गांवो के नाम**
1	सरवाड़
2	दौलतपुरा
3	भेरू खेड़ा
4	इन्द्रपुरा
5	फतेहगढ़
6	गणेशपुरा
7	खिरियां

सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (प्र.एवं नि)
रा.रा.वि.प्र.नि.लि, अजमेर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।